

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2011

(आय-कर)

का.आ. 1438(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“31	2011-2012	785”
-----	-----------	------

[अधिसूचना सं. 35/2011/फा.सं. 142/5/2011-टीपीएल]

पवन के. कुमार, निदेशक (टीपीएल-IV)

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 1756(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010 द्वारा किया गया था।